50/2017

मुन्तकिली प्रकरण सं0 50/2017 अनवानी 1–हरनामदीप सिंह पुत्र हरकृष्ण सिंह जाति जटसिख नि0 गदरखेडा तह0 सादुलशहर 2–सुखबीर सिंह पुत्र शमशेर सिंह बनाम 1–रघुवीर सिंह 2–हरदयालसिंह 3–जगदीशसिंह पि0 हरचंद सिंह जाति जटसिख नि0 गदरखेडा तह0 सादुलशहर 4–गुरदीप सिंह 5–हरपाल कौर 6–भूपेन्द्र कौर 7– हरविन्द्र कौर 8–हरप्रीत कौर वगैरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.09.2017

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री बलविन्द्र सिंह बराड़ उपस्थित है। अप्रार्थी रघुवीर सिंह के अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश मक्कड उपस्थित है। प्रार्थी हरनामदीप सिंह द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। एडमिशन के बिन्दु पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री बलविन्द्र सिंह बराड़ का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय अप्रार्थी सं0 1 ता 3 द्वारा एक राजस्व वाद अनवानी रघुवीर सिंह आदि बनाम गुरदीप सिंह आदि जो कि चक 22 केएसडी, 24केएसडी, 1 एसडीएस, 2 एसडीएस व 3 एसडीएस के विभिन्न खातो के संबंध में प्रार्थीयान तथा अप्रार्थीयान सं0 4 से 98 के विरूद्ध धारा 88, 53, 188 आरटीए का पेश कर रखा है जो विचाराधीन है और इसमें अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने धारा 212 आरटीए के अन्तर्गत प्रा0 पत्र पेश कर दिनांक 04.02.16 को स्थगन आदेश भी अपने पक्ष में करवा लिया है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 राजनैतिक प्रभाव वाले है और दिनांक 24.05.17 को अप्रार्थी सं0 1 ने गांव में ऐलानिया कहा कि उन्होने पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक अप्रोच करवा ली है इसलिए स्थगन आदेश दिनांक 04.02.16 का फैसला उनके पक्ष में कनफर्म हो जावेगा। उनका आगे कथन है कि पीठासीन अधिकारी राजनैतिक दबाब में है और सभी प्रतिवादीगण की तलवी किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर अप्रार्थीगण के पक्ष में दावा डिक्री करना चाहते है। इसलिए उन्हें विश्वास हो गया है कि उन्हें निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। इसलिए प्रा0 पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण कर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जावे और कार्यवाही स्थगित की जावे।

मैने अभिभाषक प्रार्थीगण के तर्को पर मनन किया एवं मुन्तकिली प्रा0 पत्र एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने उपखण्ड अधिकारी, सादलशहर के न्यायालय में एक वाद अनवानी रघुवीरसिंह आदि बनाम गुरदीप सिंह आदि धारा 88–53–188 आरटीए पेश कर रखा है और धारा 212 आरटीए का प्रा0 पत्र भी पेश कर रखा है जो लंबित है। उक्त मूल वाद की आर्डर शीट का अवलोकन किया गया जिसमें अभी पत्रावली प्रतिवादी सं0 3 ता 10, 53 के जबाब व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की तलवी के ईन्तजार में लंबित

A3/2

है जिससे स्पष्ट है कि अभी प्रकरण बहस की स्टेज पर नही है इसलिए प्रार्थी का यह कहना कि उपखण्ड अधिकारी शीघ्र निर्णय करके दावा डिक्री करना चाहते है सही नही है और दूसरा यह आरोप कि उपखण्ड अधिकारी राजनैतिक दबाब में है। यह आरोप एक साधारण प्रकृति का है। ऐसा आरोप किसी भी समय कभी भी किसी पर लगाया जा सकता है। मुकदमा मुकदमा के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य न होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1648 / 8-9-17

यह आदेश आज दिनांक 04.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(signature)

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर